उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-04/2020/एस-2-3028/दस-2019-88क(4)/2017
लखनऊ :: दिनॉक: 09 जनवरी,2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा ग्रेड वेतन रू0 6600/- के अधिकारी श्री संतोष कुमार मौर्य, तत्कालीन उप निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को जिला सीतापुर में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक की नौकरी दिलाने के एवज में रू0 05 लाख लेने एवं वापस मॉगने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता एफ0आई0आर0 सं0-0982/2019 अन्तर्गत धारा-406/504/506 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत चालान जरिये आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किये जाने एवं उप निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पद पर तैनाती के दौरान पद का दुरूपयोग करने, नौकरी दिलाने की एवज में पैसा मांगने, पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने तथा सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हुए प्रथम पत्नी होते हुए दूसरा विवाह किये जाने आदि गम्भीर कदाचार हेतु शासन के कार्यालय आदेश संख्या-एस-2-2650/दस-2019-88क(4)/2017, दिनॉक 06-11-2019 द्वारा श्री मौर्य को निलम्बित कर निदेशक, कोषागार लखनऊ के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुए श्री मौर्य के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक जॉच संचालित किये जाने तथा कार्यालय आदेश दिनांक 13-11-2019 द्वारा जॉच के निष्पादन हेतु श्री आलोक कुमार अग्रवाल, वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त के आदेश के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या-32575(एसएस)/2019 संतोष कुमार मौर्य बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा दिनॉक 26-11-2019 को पारित आदेशों के समादर में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा ग्रेड वेतन रू0 6600 के अधिकारी श्री संतोष कुमार मौर्य का निलम्बन निरस्त करते हुए सेवा में बहाल करने एवं उप निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ (ग्रेड पे 6600) के पद पर तैनात करने के आदेश प्रदान करते हैं।

3- श्री संतोष कुमार मौर्य के विरूद्ध उक्तानुसार प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ववत् गतिमान रहेगी, और जॉच अधिकारी श्री आलोक कुमार अग्रवाल, वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विधिवत् जॉच सम्पन्न कर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2020/ एस-2-3028(1)/दस-2019,तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ।
5- श्री आलोक कुमार अग्रवाल, वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- मुख्य कोषाधिकारी,(कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन), लखनऊ।
8- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, कोषागार।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।